विस्तार से : त्रिपुरा के लिए एनआरसी

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

13 अक्टूबर, 2018

द हिन्दू

''त्रिपुरा के लिए भी एनआरसी, राज्य में नई समस्याओं को जन्म देगा।''

असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के अंतिम मसौदे को जारी करने के सिर्फ तीन महीने बाद ही, सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा के लिए इसी तरह की प्रक्रिया की मांग करने वाली याचिका को मजूरी दे दी है। देखा जाए तो त्रिपुरा में भी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) अपडेट करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट ने दायर की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने असम मामले के साथ ही त्रिपुरा मामले को टैग कर दिया है।

असम में NRC मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को अपने दावे और आपत्ति दर्ज कराने की इजाजत दी है, जिन लोगों के नाम NRC की लिस्ट में नहीं हैं। 25 सितंबर से इसकी शुरुआत हो गई है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 60 दिनों का समय दिया है।

हालांकि, उनके नाम 10 दस्तावेजों के आधार पर ही शामिल किये जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दूसरे 5 दस्तावेज हैं, उन पर बाद में विचार करेंगे। याचिका में कहा गया है कि त्रिपुरा में घुसपैठ की समस्या असम से गंभीर है।

इसलिए त्रिपुरा का भी नागरिक रजिस्टर अपडेट हो। याचिका में मांग की गई है कि भारत-बांग्लादेश सीमा की फेंसिंग हो ताकि घुसपैठिए त्रिपुरा में प्रवेश नहीं कर सकें। गौरतलब हो कि बांग्लादेश के निर्माण से पहले त्रिपुरा में अधिकांश प्रवास हुआ है।

साथ ही यह भी कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इसका प्रदेश में उल्लंघन हो रहा है। इसमें कहा गया है कि पिछले पांच दशक में बड़ी संख्या में बांग्लादेश से अवैध नागरिक प्रदेश में आए हैं जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।

इस मामले में यह दलील दी गयी है कि त्रिपुरा के लिए एनआरसी 1951 में तैयार की गई थी और अब एक बार फिर इसे अद्यतन करने की आवश्यकता है। इससे अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान हो सकेगी एवं उन्हें प्रत्यार्पित करने का रास्ता साफ होगा।

गौरतलब है कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने हाल में कहा था कि अगर असम में एनआरसी सफल रहता है तो वह त्रिपुरा में भी इसे लागू करेंगे।

असम में एनआरसी का अंतिम प्रारूप जारी हो गया है, जिसके बाद काफी हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि इससे 40 लाख लोग बाहर हो गए हैं।

अवैध प्रवासी बांग्लादेशियों के कारण त्रिपुरा की सामाजिक-आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक एवं सामाजिक-राजनीतिक संतुलन बिगड़ रहा है और इसे ठीक किया जाना जरूरी है। उनकी दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया।

पिछले चार दशकों में त्रिपुरा के विकास के प्रकाश में इन मांगों को संदर्भित किया जाना चाहिए। 1979 के आरंभ में, संघर्ष के वर्षों के बाद, राज्य के आदिवासी लोगों ने विशेष स्वायत्तता प्रावधान, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्रों स्वायत्त जिला परिषद की संस्था और अन्य आश्वासनों के बीच अपनी बोली जाने वाली भाषा की मान्यता प्राप्त की थी।

पिछले तीन दशकों में, कई विद्रोही समूहों ने हिंसक संघर्ष समाप्त कर दिए हैं, जो या तो कानून के बल से संभव हो पाया या पहले जनजातीय संघर्षों द्वारा किए गए लाभों को संरक्षित करने के लिए महत्त्वपूर्ण मांगों को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप संभव हो पाया।

इस तथ्य के बावजूद कि असम में एनआरसी प्रक्रिया में अधिकांश राजनीतिक दल अधिक दिलचस्पी ले रहे हैं, इस बात का कोई जवाब नहीं है कि निर्वासन प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ सकती है (या चाहिए)।

अपने गहरे मानवतावादी प्रभाव पर विचार किए बिना ऐसे किसी भी नौकरशाही अभ्यास पर कार्य करना केवल नई समस्याओं को जन्म देंगी - खासकर त्रिपुरा जैसे राज्य में जहां एनआरसी प्रक्रिया पर विचारों की ऐसी कोई समानता नहीं है।

यह बंगाली भाषी और जनजातीय लोगों के बीच सुलह करने में लगे समय को बर्बाद कर देगा। निश्चितरूप से यह कहना गलत नहीं होगा कि याचिका सुनते समय सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी होनी चाहिए थी।

* * *

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को त्रिपुरा में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजेन को लेकर नोटिस जारी किया है।
- कोर्ट ने नोटिस जारी करके त्रिपुरा में एनआरसी के नवीनीकरण को लेकर जवाब मांगा है।
- सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एसके कौल, केएम जोसेफ की बेंच ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है।
- दरअसल कोर्ट में त्रिपुरा में एनआरसी को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा एनआरसी के लागू करने की प्रक्रिया को लेकर नोटिस जारी किया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में त्रिपुरा सरकार को एक नोटिस देते हुए आदेश दिया है कि वह असम की भाँति त्रिपुरा में भी राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण को अपडेट (up-to-date) करें जिससे बांग्लादेश से आये हुए अवैध आव्रजकों का पता लगाया जा सके और उन्हें वापस भेजा जा सके।

पृष्ठभूमि

- सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी।
- इसमें तर्क दिया गया था कि त्रिपुरा में अवैध आव्रजकों का प्रवेश संविधान की धारा 355 के अंतर्गत "बाह्य आक्रमण" के समकक्ष है।
- इन घुसपैठियों का त्रिपुरा राज्य में होना इस राज्य के नागरिकों के राजनैतिक अधिकारों का हनन है। ऊपर वर्णित सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश इसी संदर्भ में निर्गत हुआ है।

त्रिपुरा में घुसपैठ का निहितार्थ

- त्रिपुरा पहले एक जनजातिप्रधान राज्य हुआ करता था। लेकिन आज यह जनजातिप्रधान राज्य नहीं रह गया है।
- यहाँ के रहने वाले मूल निवासी अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक हो गए हैं।
- बांग्लादेश से हो रही निरंतर घुसपैठ के कारण त्रिपुरा की जनसंख्या के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन आ गया है।

क्या है?

- असम में 1951 की जनगणना के बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की शुरुआत हुई जिसमें नाम नहीं होने पर शख्स को अवैध नागरिक माना जाता है।
- यह व्यवस्था अपनाने वाला असम एकमात्र राज्य है।
- असम समझौता 1985 के मुताबिक, 24 मार्च 1971 की आधी रात तक राज्य में प्रवेश करने वाले लोग ही भारतीय नागरिक है।
- 1951 में एनआरसी के निर्माण के बाद 1960 में एनआरसी डाटा पुलिस को सौंप दिया गया था।

क्या है मामला?

- एन.आर.सी. को आखिरी बार 1951 में अपडेट किया गया था। उस समय असम में कुल 80 लाख नागरिकों के नाम इस रजिस्टर के तहत दर्ज किये गए थे।
- तब से असम में अवैध आप्रवासियों की पहचान की प्रक्रिया पर न केवल निरंतर बहस जारी है बल्कि यह राज्य की राजनीति में एक विवादास्पद मुद्दा भी बन गया है।
- 1979 से 1985 के बीच ए.ए.एस.यू. द्वारा अवैध आप्रवासियों की पहचान और निर्वासन की मांग करते हुए एक 6 वर्षीय आन्दोलन का संचालन किया गया था।
- यह आन्दोलन 15 अगस्त, 1985 को असम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शांत हुआ था।
- 1951 से 1961 के बीच असम आए लोगों को पूर्ण नागरिकता और वोट देने का अधिकार मिला।
- नागरिकों के सत्यापन का काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 2015 में शुरू हुआ था। इसमें 12 तरह के सर्टिफिकेटों व कागजात को नागरिकता का प्रमाण माना गया।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

- इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी का कार्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है।
- असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मसौदे के प्रकाशन के आधार पर किसी के भी खिलाफ कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अभी सिर्फ एक मसौदा ही है।
- केन्द्र को निर्देश दिया कि इस मसौदे के संदर्भ में दावों और आपत्तियों के निस्तारण के लिये मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जाये।
- यह मानक संचालन प्रक्रिया 16 तक उसके समक्ष मंजूरी के लिये पेश की जाये।
- यह प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और उन सभी को समुचित अवसर मिलना चाहिए जिनके नाम इस सूची में शामिल नहीं है।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. NRC को केवल असम द्वारा अपनाया गया है।
2. 1961 की जनगणना के बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की शुरूआत हुई।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. त्रिपुरा के लिए भी NRC को तैयार किया गया है।
2. असम समझौते के तहत 1951 के जनगणना के अनुसार ही राज्य में रहने वाले लोग भारतीय हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

नोट :

12 अक्टूबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d), 2(c) होगा।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. ''असम के लोगों के सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषायी पहचान की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की माँग पूर्वोत्तर राज्यों में अंशाति को बढ़ावा देगा।'' आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है?

(250 शब्द)